

शपथ पत्र

मैं आत्मज (भू-स्वामी) पता:- भोपाल आयु
शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. यह कि मेरी हमारी भूमि ग्राम के खसरा कमांक-..... किता कुल रकबा हेक्टर एकड़ प.ह.नं. राजस्व निरीक्षक भण्डल-..... विकास खण्ड तहसील जिला में स्थित है जिसका स्वामी हूँ तथा उक्त भूमि का वैधानिक कर्ताधर्ता हूँ ।
2. इस भूमि का शासन द्वारा अंगीकृत विकास योजना में भूमि का उपयोग निर्दिष्ट किया गया है ।
3. यह कि उक्त भूमि पर मैं (स्वयं का आवास/बहुमंजिला भवन-फ्लेट/कालोनी/या अन्य स्पष्ट करें) के विकास हेतु आशय रखता हूँ जिस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य व स्वीकार है ।
4. यह कि मेरे/हमारे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका ग्राम पंचायत कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों नियम 1998/1999 के अंतर्गत नाम से कालोनाइजर लायसेंस है ।(कालोनी/बहुमंजिला से भिन्न प्रकरणों हेतु आवश्यक नहीं है)
5. यह कि उक्त भूमि मेरे/फर्म के ही स्वामित्व व आधिपत्य में है, जिस पर किसी प्रकार का कोई भूमि विवाद आदि नहीं है तथा सभी प्रकार से भारमुक्त है ।
6. इस भूमि के विकास के प्रयोजन हेतु जो विकास कार्य कियान्वित किये जावेंगे वे सभी (परियोजना का नाम) से किये जावेंगे ।
7. यह कि उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन/प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है ।
8. यह कि मैं के विकास के अनुज्ञा हेतु यह शपथ पत्र नगर एवं ग्राम निवेश विभाग भोपाल में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा अनुमोदित मानचित्र एवं समस्त शर्तों का पालन करते हुए उसके अनुसार ही विकास कार्य करूंगा ।
9. यह कि प्रश्नाधीन भूमि का कोई अंश मेरे/हमारे द्वारा अथवा विकासकर्ता द्वारा कभी किसी के विक्रय नहीं किया गया है न ही इसे किसी वित्तीय संस्था व अन्य के पास किसी रूप में बंधक रखा गया है एवं हम ही आज तक उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी व आधिपत्यधारी है ।
10. यह कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के सभी प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जावेगा ।
11. यह कि इस भूमि पर इससे पूर्व मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई विकास अनुमति पूर्व में प्राप्त नहीं की गई है तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का पूर से विकास एवं निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।
12. यह कि विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ आवेदन शुल्क की गणना रुपये 5000 प्रति हेक्टर की दर से की गई है जमा की गई है यद्यपि इस भुगतान शुल्क में किसी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित होती है तो अतिरिक्त शुल्क का भुगतान सूचित किये जाने के 3 दिवस में कर दिया जावेगा यदि ऐसा करने में शपथग्रहिता असफल रहता है तो प्रदत्त अनुज्ञा रिवोक व निरस्त की जा सकेगी ।
13. यह कि उक्त शपथ पत्र के चरण कमांक 1 से लगायत 10 तक में दी गई संपूर्ण जानकारी में निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य व सही है । इसमें किसी भी तथ्य व जानकारी को छिपाया नहीं गया है यदि ऐसा कोई तथ्य भविष्य में प्रकट होता है कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी असत्य एवं भ्रामक थी तो इसके लिये मैं शपथग्रहिता पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा ।

शपथ ग्रहित

सत्यापन

मैं आत्मज श्री (भू-स्वामी) भोपाल आयु वयस्व
उपरोक्त शपथग्रहित सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के चरण 1 से 10 में दी गई समस्त जानकारी में निजी ज्ञान से सत्य व सही है ।

सत्यापन आज दिनांक

को भोपाल में किया गया ।

शपथ पत्र

संलग्नक-207

मैं आत्मज (भू-स्वामी) पता:- भोपाल आयु

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. यह कि मेरी हमारी भूमि ग्राम के खसरा कमांक-..... किता कुल रकबा हेक्टर एकड़ प.ह.नं. राजस्व निरीक्षक मण्डल-..... विकास खण्ड तहसील जिला में स्थित है जिसका स्वामी हूँ तथा उक्त भूमि का वैधानिक कर्ताधर्ता हूँ ।
2. इस भूमि का शासन द्वारा अंगीकृत विकास योजना में भूमि का उपयोग निर्दिष्ट किया गया है ।
3. यह कि उक्त भूमि पर मैं (स्वयं का आवास/बहुमंजिला भवन-फ्लैट/कालोनी/या अन्य स्पष्ट करें) के विकास हेतु आशय रखता हूँ जिस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य व स्वीकार हैं ।
4. यह कि मेरे/हमारे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका ग्राम पंचायत कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998/1999 के अंतर्गत नाम से कालोनाइजर लायसेंस है ।(कालोनी/बहुमंजिला से भिन्न प्रकरणों हेतु आवश्यक नहीं है)
5. यह कि उक्त भूमि मेरे/फर्म के ही स्वामित्व व आधिपत्य में है, जिस पर किसी प्रकार का कोई भूमि विवाद आदि नहीं है तथा सभी प्रकार से भारमुक्त है ।
6. इस भूमि के विकास के प्रयोजन हेतु जो विकास कार्य कियान्वित किये जावेंगे वे सभी (परियोजना का नाम) से किये जावेंगे ।
7. यह कि उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन/प्रकरण विचाराधीन/लंबित नहीं है ।
8. यह कि मैं के विकास के अनुज्ञा हेतु यह शपथ पत्र नगर एवं ग्राम निवेश विभाग भोपाल में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा अनुमोदित मानचित्र एवं समस्त शर्तों का पालन करते हुए उसके अनुसार ही विकास कार्य करूंगा ।
9. यह कि प्रश्नाधीन भूमि का कोई अंश मेरे/हमारे द्वारा अथवा विकासकर्ता द्वारा कभी किसी को विक्रय नहीं किया गया है न ही इसे किसी वित्तीय संस्था व अन्य के पास किसी रूप में बंधक रखा गया है एवं हम ही आज तक उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी व आधिपत्यधारी हैं ।
10. यह कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के सभी प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जावेगा ।
11. यह कि इस भूमि पर इससे पूर्व मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई विकास अनुमति पूर्व में प्राप्त नहीं की गई है तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का पूर्व से विकास एवं निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।
12. यह कि विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ आवेदन शुल्क की गणना रुपये 5000 प्रति हेक्टर की दर से की गई है जमा की गई है यद्यपि इस भुगतान शुल्क में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है तो अतिरिक्त शुल्क का भुगतान सूचित किये जाने के 3 दिवस में कर दिया जावेगा यदि ऐसा करने में शपथग्रहिता असफल रहता है तो प्रदत्त अनुज्ञा रिवोक व निरस्त की जा सकेगी ।
13. यह कि उक्त शपथ पत्र के चरण कमांक 1 से लगायत 10 तक में दी गई संपूर्ण जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य व सही है । इसमें किसी भी तथ्य व जानकारी को छिपाया नहीं गया है यदि ऐसा कोई तथ्य भविष्य में प्रकट होता है कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी असत्य एवं भ्रामक थी तो इसके लिये मैं शपथग्रहिता पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा ।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं आत्मज श्री (भू-स्वामी) भोपाल आयु वयस्क
उपरोक्त शपथग्रहित सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के चरण 1 से 13 में दी गई समस्त जानकारी मेरे
निजी ज्ञान से सत्य व सही है ।

सत्यापन आज दिनांक

को भोपाल में किया गया ।